

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में
दिनांक-03.02.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं0-01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक-06.01.2026 के कार्यवाही के कार्यावली सं0-5(09),5(11) एव 5(13) को छोड़कर शेष विन्दुओं के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -06.01.2026 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल-15 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-06.01.2026 के बाद निर्गत पीक अप भान /ट्रक के स्थाई परमिट/अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक/पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -06.01.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के निर्गत अस्थाई/विशेष परमिट का

ब्यौरा :-

बस/मिनी बस/सिटी राईड के कुल-316 (दिनांक 02.02.2026 तक) विशेष परमिट निर्गत किए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं0-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-06.01.2026 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-
दिनांक-03.02.2026 तक बस/मिनी बस के कुल-29 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

f

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष | मार्ग का नाम | किटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभिमुखित | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अजित कुमार | BR11PD-4265 (बस) 11-10-2025 Cap-45 | फलका से कटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256 | 10-10-2027 22-03-2026 22-09-2026 10-10-2026 | आपत्ति आप्राप्त। | स्वीकृत। |
| 2 | तहसीना खातून | BR11PD-0886 (बस) 23-09-2024 Cap-41 | किशनगंज से पूर्णिमा कुल खेप-02 कुल दूरी-480 | 22-09-2026 15-03-2026 15-09-2026 24-09-2026 | परमिट सं०-BR2024-SC-2330A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 3 | इस्तिथाक आलम | BR11PD-1749 (बस) 06-01-2025 Cap-41 | दिथलढाँक से किशनगंज कुल खेप-02 कुल दूरी-200 | 05-01-2027 02-04-2026 02-01-2027 11-01-2027 | परमिट सं०-BR2025-SC-2099A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 4 | इस्तिथाक आलम | BR11PD-1747 (बस) 06-01-2025 Cap-41 | दिथलढाँक से किशनगंज कुल खेप-04 कुल दूरी-400 | 05-01-2027 02-04-2026 02-01-2027 11-01-2027 | परमिट सं०-BR2025-SC-0471A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 5 | वीण सिंह | BR11PC-7861 (बस) 07-06-2023 Cap-40 | बगल्ला से भागलपुर कुल खेप-01 कुल दूरी-232 | 25-06-2027 06-03-2026 30-07-2026 23-06-2026 | परमिट सं०-BR2023-SC-2753A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 6 | पुष्पा देवी | BR50P-0295 (बस) 22-05-2023 Cap-45 | किशनगंज से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-334 | 13-07-2027 18-02-2026 01-09-2026 29-08-2026 | परमिट सं०-BR2025-SC-0962A से आवृत एवं RTA पूर्णिमा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 7 | रवि कुमार | BR50P-9525 (बस) 20-08-2025 Cap-41 | पूर्णिमा से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-488 | 19-08-2027 31-03-2026 30-06-2026 19-08-2026 | परमिट सं०-BR2025-SC-2951A से आवृत एवं RTA सहस्सा से निर्गत है। आपत्ति आप्राप्त | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरांत परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |

—

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | किटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|--|---|--|--|---|
| 8 | मो० अब्दुल आलम | BR38P-9311 (बस) 21-08-2024 Cap-45 | पूरुणिया से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-488 | 20-10-2026 20-06-2026 20-09-2026 19-10-2026 | परमिट सं०-BR2025-SC-0264A से आवृत एवं RTA पूरुणिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरान्त परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है। |
| 9 | मो० मेराजुद्दीन | BR50P-6111 (बस) 21-04-2017 Cap-42 | पूरुणिया से सुपौल कुल खेप-01 कुल दूरी-244 | 05-03-2026 20-04-2026 20-12-2026 25-02-2026 | परमिट सं०-BR2023-SC-1102A से आवृत एवं RTA दरभंगा से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरान्त परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 10 | मो० जावेद आलम | BR11T-7726 (बस) 10-06-2015 Cap-37 | किशनगंज से पूरुणिया कुल खेप-01 कुल दूरी-220 | 04-03-2027 27-02-2026 26-02-2026 23-02-2026 | परमिट सं०-BR2025-SC-2074A से आवृत एवं RTA पूरुणिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरान्त परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 11 | सालेहा खानून | BR11M-7833 (बस) 11-05-2013 Cap-41 | पूरुणिया से बरबट्टा कुल खेप-02 कुल दूरी-300 | 28-07-2026 02-02-2026 24-08-2026 13-02-2026 | परमिट सं०-BR2025-SC-0538A से आवृत एवं RTA पूरुणिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | आवेदिका द्वारा अपने समय-सारणी को संशोधित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन दिया गया है। आवेदिका से प्राप्त आवेदन के आलोक में पूर्व प्रकाशित समय-सारणी को निरस्त किया जाता है। तथा आवेदिका को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अंदर अपना संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। |
| 12 | रजनीश नंदन | BR11T-8078 (बस) 03-07-2015 Cap-43 | फलका से काटिहार कुल खेप-04 कुल दूरी-256 | 15-01-2027 23-03-2026 05-01-2027 04-01-2027 | परमिट सं०-BR2020-SC-0151A से आवृत एवं RTA पूरुणिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरान्त परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा। |
| 13 | अशोक कुमार मिश्रा | BR11M-9669 (बस) 22-08-2013 Cap-50 | बेला से पूरुणिया कुल खेप-01 कुल दूरी-115 | 06-10-2026 15-02-2026 17-08-2026 16-08-2026 | परमिट सं०-BR2024-SC-0340A से आवृत एवं RTA पूरुणिया से निर्गत है। आपत्ति अप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापणोपरान्त परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने तक यदि वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं करायेंगे तो 15 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के बाद परमिट वैध नहीं माना जाएगा। |

| क्र0 सं0 | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष | मार्ग का नाम | किटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट/आपत्ति/अभियुक्ति | निर्णय |
|-------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 14 | मोनिका कुमारी | BR11PC-7877 (बस) 06-05-2023 Cap-41 | पूरुनिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440 | 06-05-2027 05-02-2026 21-04-2026 27-06-2026 | परमिट सं0-BR2023-SC-2348A से आवृत एवं RTA पूरुनिया से निर्गत है। आपत्ति अग्रप्राप्त। | वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्युत्पणोपरान्त परमिट की स्वीकृति दी जाती है। |
| 15 | कल्याण कुमार | BR11T-6244 (बस) 02-12-2024 Cap-43 | पूरुनिया से रूपौली कुल खेप-03 कुल दूरी-348 | 25-12-2026 25-02-2026 15-11-2026 16-11-2026 | वाहन सं0-BR11T-6244 के वाहन स्वामी अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2021-SC-0101A का नवीकरण करने हेतु आवेदन समर्पित की गई है। उक्त परमिट की वैधता दिनांक-28.01.2026 तक था। | स्वीकृत। |
| 16 | रेहान नादिर | BR11PA-6351 (बस) 29-09-2016 Cap-42 | बिरपुर से पूरुनिया कुल खेप-01 कुल दूरी-244 | 15-04-2026 28-03-2026 04-02-2026 28-01-2026 | आवेदक द्वारा अपने वर्तमान वाहन सं0-BR11J-4428 के पक्ष निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2021-SC- 1097A का माह जून 2026 में 15 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण अपने उच्चतर मॉडल के वाहन पर परमिट का प्रतिस्थापित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन समर्पित किया है। | परमिट प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी जाती है। |
| 17 | शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय | BR11PD-5645 (बस) 12-01-2026 Cap-45 | कटिहार से पूरुनिया कुल खेप-04 कुल दूरी-256 | 11-01-2028 30-03-2026 30-12-2026 11-01-2027 | आवेदक द्वारा अपने वर्तमान वाहन सं0-BR11PA-5958 के पक्ष निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2023-SC-2772A को अपने उच्चतर मॉडल के वाहन पर परमिट का प्रतिस्थापित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन समर्पित किया है। | परमिट प्रतिस्थापन की स्वीकृति दी जाती है। |
| 18 | बी.एस.आर.डी. सी. पूरुनिया। | BR11PD-2192 (बस) 12-03-2025 Cap-41 | पूरुनिया से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-340 | 11-03-2027 07-03-2026 NA 11-03-2026 | आपत्ति अग्रप्राप्त। | स्वीकृत। |

1

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेस, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| 19 | बी.एस.आर.टी. सी. भागलपुर। | BR10PC-2505 (बस) 06-03-2025 Cap-41 | जोगवनी से भागलपुर कुल खेप-01 कुल दूरी-320 | 05-03-2027 05-03-2026 NA 05-03-2026 | क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, भागलपुर द्वारा वाहन सं०-BR10PC-2505 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-2855A के समय-सारणी में अस्थायी लिसे माईल आगमन-13:28 तथा प्रस्थान-13:40, से परमिट संशोधित करने हेतु मान्य शुल्क के साथ आवेदन दिया गया है। आपति अग्रप्राप्त। | स्वीकृत। |
| 20 | बी.एस.आर.टी. सी. पूर्णिमा। | BR11PD-2196 (बस) 12-03-2025 Cap-41 | पूर्णिमा से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-340 | 11-03-2027 07-03-2026 NA 11-03-2026 | आपति अग्रप्राप्त। | स्वीकृत। |
| 21 | बी.एस.आर.टी. सी. पूर्णिमा। | BR01PS-0778 (बस) 13-05-2025 Cap-23 (पिक बस) | पूर्णिमा से सैटा कुल खेप-02 कुल दूरी-212 | 12-03-2027 12-02-2026 27-04-2026 12-05-2026 | (1) वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय अपने वाहन सं०-BR11M-1074 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-2569A से पूर्णिमा प्रस्थान-13:35 पर आपति दी गई है। आपतिकर्ता का पूर्णिमा प्रस्थान-13:38 है। (2) वाहन स्वामी श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय अपने वाहन सं०-BR11PD-1925 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-0826A से पूर्णिमा प्रस्थान-07:12 पर आपति दी गई है। आपतिकर्ता का पूर्णिमा प्रस्थान-07:14 है। (3) वाहन स्वामी श्री अजय कुमार अपने वाहन सं०-BR11PA-4442 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-0824A से सैटा प्रस्थान-09:09 एवं 16:05 पर आपति दी गई है। आपतिकर्ता का सैटा प्रस्थान क्रमशः-09:10 एवं 16:07 है। | (1) आपतिकर्ता एवं आवेदक का परिवारलन मार्ग सामान है पूर्णिमा मुख्य प्रस्थान बिन्दु पर मात्र 3 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक पूर्णिमा प्रस्थान बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। (2) आवेदक एवं आपतिकर्ता का परिवारलन मार्ग सामान है। पूर्णिमा प्रस्थान बिन्दु पर मात्र 2 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक पूर्णिमा प्रस्थान बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। (3) आवेदक एवं आपतिकर्ता का परिवारलन मार्ग सामान है मुख्य प्रस्थान बिन्दु सैटा पर क्रमशः 1 मिनट एवं 2 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक सैटा प्रस्थान पर न्यूनतम 4 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा उपरोक्त तीनों आपतियों पर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपति प्राप्त होने पर इसे प्रतिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। |

१

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आप्त/परमित/आपत्ति/अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|--|--|---|--|
| 22 | देव नारायण यादव | BR11M-5579 (बस) 10-12-2012 Cap-41 | ढोलबज्जा से पूर्णिया कुल खेप-02 कुल दूरी-340 | 23-06-2026 09-03-2026 11-06-2026 18-03-2026 | <p>(1) वाहन स्वामी श्रीमती स्वीटी कुमारी अपने वाहन सं०-BR11PD-3639 के पक्ष में निर्गत रथायी परमित सं०-BR2026-SC-0162A से पूर्णिया प्रस्थान-15:10 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-15:11 है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपना अपत्ति वापस लेने हेतु आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>(2) वाहन सं०-BR50P-5625 के वाहन स्वामी श्रीमती सुनीता देवी आवेदक द्वारा प्रस्तुत समय-सारणी में लालगंज से ढोलबज्जा आगमन के क्रम में लगभग 6-7 कि०मी० की दूरी तय करने में एक मिनट का समय अंतराल रखने के संबंध में समय-सारणी पर शक लगाने का अनुरोध किया गया है।</p> | <p>(1) आपत्तिकर्ता द्वारा अपना आपत्ति वापस लेने संबंधी आवेदन दिया गया है। आपत्ति वापस करने संबंधी आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में आपत्तिकर्ता अथवा आवेदक द्वारा पूर्णिया प्रस्थान 15:11 बिन्दु पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>(2) आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदक के ढोलबज्जा आगमन-12:13 पर आपत्ति दी गयी है क्योंकि आवेदक का लालगंज प्रस्थान-12:12 है और ढोलबज्जा प्रस्थान-12:13 है मात्र 1 मिनट का समय-अंतराल पर लगभग 6-7 कि०मी० दूरी तय करना अशोचित नहीं है। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि परमित हेतु प्रस्तुत समय-सारणी के सभी बिन्दुओं पर न्यूनतम गति सीमा का अनुपालन करते हुए सशोचित समय-सारणी प्रस्तुत करेंगे। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमित संशोधन की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जायेगी कि 15 वर्ष पूरा होने तक वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमित का प्रतिस्थापन करा लेगे एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैक में रखा जाएगा।</p> |

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|--|---|--|--|--|
| 23 | मो० अबसार आलम | BR37P-7311 (बस) 03-06-2025 Cap-41 | पूरिया से सुपौल कुल खेप-02 कुल दूरी-448 | 02-06-2027 27-02-2026 01-06-2026 02-06-2026 | वाहन स्वामी श्री रवि कुमार अपने वाहन सं०-BR50P-9325 के पक्ष में दिनांक-10.01.2026 को प्रकाशित समय-सारणी से अररिया जिले मार्डल अररिया प्रस्थान-10:00, अररिया प्रस्थान-10:18, फोरबिसगंज प्रस्थान-11:05 तथा नरपतगंज प्रस्थान-11:26 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का अररिया जिले मार्डल प्रस्थान-10:02, अररिया प्रस्थान-10:20, फोरबिसगंज प्रस्थान-11:07 तथा नरपतगंज प्रस्थान-11:28 है। | आवेदक के वाहन का समय-सारणी दिनांक-12.01.2026 को प्रकाशित है जबकि आपत्तिकर्ता के वाहन का समय-सारणी का प्रकाशन दिनांक-10.01.2026 किया गया है। दोनों वाहन का परिचालन मार्ग सामान है। आपत्ति मध्य बिन्दु पर दी गयी है। आवेदक द्वारा आपत्तिग्रस्त सभी मध्य बिन्दु पर न्यूनतम 2 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। इसलिए आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है। परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाती है। |

✓



| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | क्रिटेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|--|--|---|--|
| 24 | प्रिस शुभम | BR11PD-2045 (बस) 18-02-2025 Cap-41 | पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-424 | 17-02-2027 14-02-2026 15-02-2026 17-02-2026 | वाहन स्वामी श्री नितेश कुमार चौधरी अपने वाहन सं०-BR11Y-7777 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2023-SC-0733A से पूर्णिया प्रस्थान-08:00 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-08:01 है। | आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का परिवालन मार्ग सामान है। आवेदक द्वारा मुख्य प्रस्थान बिन्दु पूर्णिया पर मात्र 1 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक को पूर्णिया प्रस्थान बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का अंतराल रखते हुए संशोधित समय-अंतराल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी दैठक में रखा जाएगा। |

1



1

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|---|--|---|---|
| 25 | स्वीटी कुमारी | BR11PD-3640 (बस) 12-08-2025 Cap-41 | पूर्णया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-424 | 11-08-2027 08-02-2026 10-08-2026 11-08-2026 | <p>(1) वाहन स्वामी श्री कल्याण कुमार अपने वाहन सं०-BR11PB-2242 के पक्ष में निर्गत रथायी परमिट सं०-BR2021-SC-1709A से धमदाहा प्रस्थान-06:34 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का धमदाहा प्रस्थान-06:35 है।</p> <p>(2) वाहन सं०-BR10PA-7250 के वाहन स्वामी आजाद कुमार सिंह द्वारा दिनांक-06.01.2026 को आहुत प्राधिकार की बैठक के निर्णय के आलोक में इस वाहन के पक्ष में निर्गत समय-सारणी को 2 सप्ताह सुरक्षित रखने हेतु आवेदन दिनांक-19.01.2026 का दिया गया है।</p> | <p>(1) आवेदक एवं आपत्तिकर्ता दोनों का परिवारलन मार्ग सामान है। आवेदक द्वारा धमदाहा मध्य बिन्दु पर मात्र 1 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक को इस बिन्दु पर न्यूनतम 2 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा।</p> <p>(2) आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वैध परमिट में अंकित समय-सारणी को सुरक्षित रखने हेतु आवेदन दिया गया है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं०-BR10PA-7250 का दुरस्ती प्रमाण पत्र दिनांक-02.10.2025 को समाप्त हो चुका है। आपत्तिकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वाहनों के दुरस्तीकरण हेतु भागलपुर जिला के लिए विभाग द्वारा संबद्ध जिले से यथाशीघ्र अपने वाहन सं०-BR10PA-7250 के दुरस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण करावा तब अन्यथा मोटरवाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। तदालोक में उक्त परमिट में अंकित समय-सारणी को सुरक्षित रखा जाता है। दुरस्ती प्रमाण पत्र नवीकरण होने तक आपत्तिकर्ता अपने वाहन का परिवारलन नहीं करेंगे। आवेदक यदि चाहे तो आपत्ति ग्रस्त बिन्दु पर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा उनके परमिट स्वीकृति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। दिनांक-06.01.2025 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं०-5.(9) में अंकित निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।</p> |

2

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अनियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|--|--|---|---|
| 26 | स्वराज कुमार सिंह | BR11PD-2825 (बस) 31-05-2025 Cap-41 | पूर्णिमा से रूपौली कुल खेप-03 कुल दूरी-318 | 30-05-2027 27-02-2026 29-05-2026 30-05-2026 | वाहन स्वामी श्री निलेश कुमार चौधरी अपने वाहन सं०-BR11PD-2222 के पूर्व में परमिट हेतु प्रकाशित समय-सारणी से रूपौली प्रस्थान-16:08 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का रूपौली प्रस्थान-16:09 है। | आवेदक का समय-सारणी दिनांक-10.01.2026 को प्रकाशित है, जबकि आपत्तिकर्ता के वाहन का समय-सारणी का प्रकाशन दिनांक-15.12.2025 को किया गया है। दोनों वाहन का परिचालन मार्ग समान है। मुख्य प्रस्थान बिन्दु रूपौली पर दोनों वाहन का समय में केवल 1 मिनट का समय अंतराल रखा गया है। आवेदक को प्रस्थान बिन्दु रूपौली पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। |
| 27 | रजनी राज | BR11PD-2659 (बस) 10-05-2025 Cap-41 | पूर्णिमा से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-424 | 09-05-2027 08-02-2026 15-05-2026 09-05-2026 | वाहन स्वामी श्री निलेश कुमार चौधरी अपने वाहन सं०-BR11V-7777 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2023-SC-0733A से पूर्णिमा प्रस्थान-13:41 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिमा प्रस्थान-13:41 है। | आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिवालन मार्ग समान है मुख्य प्रस्थान बिन्दु पूर्णिमा पर सामान समय रहने के कारण आपत्ति दी गई है। आवेदक को मुख्य प्रस्थान बिन्दु पूर्णिमा पर 4 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैठक में रखा जाएगा। |

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|---|--|--|--|--|
| 28 | निलेश कुमार चोधरी | BR11RA-9090 (बस) 17-05-2025 Cap-26 | रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-04 कुल दूरी-440 | 16-03-2027 09-03-2026 04-03-2026 16-03-2026 | वाहन सं०-BR10PA-7250 के वाहन स्वामी आजाद कुमार सिंह द्वारा दिनांक-06.01.2026 को आहुत प्राधिकार की बैठक के निर्णय के आलोक में इस वाहन के पक्ष में निर्गत समय-सारणी को 2 सप्ताह सुरक्षित रखने हेतु आवेदन दिनांक-19.01.2026 को दिया गया है। | आपत्तिकर्ता द्वारा अपने वैध परमिट में अंकित समय-सारणी को सुरक्षित रखने हेतु आवेदन दिया गया है। आपत्तिकर्ता के वाहन सं०-BR10PA-7250 का दुरस्ती प्रमाण पत्र दिनांक-02.10.2025 को समाप्त हो चुका है। आपत्तिकर्ता को निदेश दिया जाता है कि वाहनों के दुरस्तीकरण हेतु भगलपुर जिला के लिए विभाग द्वारा संबद्ध जिले से यथाशीघ्र अपने वाहन सं०-BR10PA-7250 के दुरस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण करावा तब अन्यथा मोटरयान अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। तदालोक में उक्त परमिट में अंकित समय-सारणी को सुरक्षित रखा जाता है। दुरस्ती प्रमाण पत्र नवीकरण होने तक आपत्तिकर्ता अपने वाहन का परिचालन नहीं करेंगे। आवेदक यदि चाहें तो आपत्ति ग्रस्त बिन्दु पर संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा उनके परमिट स्वीकृति पर आगामी बैठक में विचार किया जाएगा। दिनांक-06.01.2025 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं०-5.(13) में अंकित निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय। |

7

| क्र० सं० | वाहन स्वामी का नाम एवं पता | वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष | मार्ग का नाम | फिटनेश, कर, बीमा, प्रदूषण, | पूर्व से आवृत परमिट / आपत्ति / अभियुक्ति | निर्णय |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 29 | आजाद कुमार सिंह | BR11T-6403 (बस) 17-12-2014 Cap-43 | रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-318 | 26-09-2026 10-03-2026 19-07-2026 19-01-2027 | वाहन स्वामी श्री नितेश कुमार चौधरी अपने वाहन सं०-BR11PD-2452 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2025-SC-1474A से पूर्णिया प्रस्थान-16:33 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान-16:35 है। | आपत्तिकर्ता एवं आवेदक का परिचालन मार्ग समान है। आपत्ति मुख्य प्रस्थान बिन्दू पूर्णिया पर दी गई है जहाँ मात्र 2 मिनट का समय-अंतराल रखा गया है। आवेदक को मुख्य प्रस्थान बिन्दू पूर्णिया पर 4 मिनट का समय-अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह के लिए किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट के प्रत्यापनोपरांत इस शर्त के साथ दी जायेगी कि 15 वर्ष पूरा होने से पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसे प्राधिकार के अगामी बैटक में रखा जाएगा। |

कार्यावली सं०-05.(क)

वाहन सं०-BR50P-0225 के वाहन स्वामी श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा दिनांक-06.01.2026 को आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं०-5(3) पर स्वीकृत परमिट को लेने से असमर्थता जाहिर करते हुए इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

निर्णय:- वाहन स्वामी के अनुरोध पर दिनांक-06.01.2026 को आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही के कार्यावली सं०-5(3) पर स्वीकृत वाहन सं०-BR50P-0225 के परमिट संबंधित स्वीकृत आवेदन को रद्द किया जाता है। उक्त आवेदन के साथ संलग्न आवेदन शूल्क व्ययगत माना जायेगा।



कार्यावली सं०-06

बिहार मोटरयान नियमावली, 1992 के नियम-101 के तहत प्राप्त एंजेन्ट अनुज्ञापित आवेदन का यौर:-

| क्र० सं० | आवेदक का नाम एवं पता | आधार संख्या | शुल्क/चलान तिथि | चरित्र प्रमाण-पत्र | अभ्युक्ति | निर्णय |
|----------|---|--------------|----------------------|---|---|--------|
| 1. | निलेश कुमार पिता- रामदेव यादव ग्राम-बरमसिया, पो०+थाना-कटिहार जिला-कटिहार। | 302128668513 | 4450 / 20.01.2026 | पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं०-BCHC/2025/1788882 दिनांक-06.01.2026. | कटिहार बस स्टेण्ड, जिला-कटिहार हेतु। | |
| 02 | कन्हैया ठाकूर पिता- स्व० अमर कांत ठाकूर ग्राम-डुम्मर, जिला-कटिहार। | 546481553308 | 4450 / 16.01.2026 | पुलिस अधीक्षक, कटिहार द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र सं०-BCHC/2025/1704222 दिनांक-17.12.2025. | डुम्मर बस स्टेण्ड, जिला-कटिहार हेतु। | |


कार्यावली सं०-07.


प्राधिकार की बैठक दिनांक- 06.01.2026 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का यौर:-


- जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के कुल-450 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- ट्रक/पी भान के कोई अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


(श्री राकेश)
अपर समाहर्ता, पूर्णिया
-सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(अवधेश कुमार आनंद)
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

ज्ञापक 211.....

दिनांक 11.02.2026

- प्रतिलिपि:— 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:— 02. अपर समाहर्ता—सह—सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:— 03. जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अवधेश कुमार आनंद)

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।